



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 07 अगस्त, 2023 / 16 श्रावण, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 जुलाई, 2023

संख्या : मुद्रण (बी) 1-4 / 2021.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से,

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में फलाई ब्वाय, (ऑफसैट)(अराजपत्रित), गुप-सी पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध “क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग फलाई ब्वाय, (ऑफसैट)(अराजपत्रित) गुप-सी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र, (ई गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: मुद्रण (ए) 4-22/93, तारीख 01-11-2007 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 13-11-2007 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग फलाई ब्वाय, (ऑफसैट) (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के हाते हुए भी उपरोक्त उप-नियम (i) अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—

सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध “क”

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में फलाई ब्वाय (ऑफसैट) (अराजपत्रित) गुप-सी के पद के लिए प्रस्तावित भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—फलाई ब्वाय (ऑफसैट)

2. पदों की संख्या.—07 (सात)

3. वर्गीकरण.—गुप-ग

4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान : हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन), 2022 के अनुसार पद के साथ संलग्न समयमान (टाइम स्केल) पे-मैट्रिक्स का लेवल-3।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां.—हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पे-मैट्रिक्स के लेवल-3 के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत।

5. पद “चयन” है या “अचयन”.—अचयन पद

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जायेगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.— सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हताएं:

(1) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण की हो:

परन्तु अभ्यर्थी द्वारा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से आठवीं और दसवीं की परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो:

परन्तु यह और कि यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए लागू नहीं होगी

(2) सरकारी व अर्ध सरकारी मुद्रण प्रैस या केन्द्र व राज्य सरकार से पंजीकृत निजी ऑफसेट मुद्रण प्रैस से जहां सम्बन्धित ट्रेड का कार्य निष्पादित हो, में दो वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र ।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.—हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं ।

शैक्षणिक अर्हताएं.—हां, जैसी नीचे स्तम्भ संख्या: 11 में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे ।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवानिवृत्ति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेदन पर कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—(i) 90% सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर।

(ii) 10% प्रोन्नति द्वारा

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जायेगा.—प्रेस मजदूरों में से प्रोन्नति द्वारा जो दसवीं पास हो तथा जिनके पास आफसैट मशीन पर व्यवहारिक परीक्षा के अनुभव के साथ तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो तथा ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो। प्रोन्नति और सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रोस्टर बिन्दु का अनुसरण किया जाएगा:—

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
एक से छः तक	सीधी भर्ती द्वारा
सातवां	प्रोन्नति द्वारा

टिप्पणी:—रोस्टर प्रत्येक सातवें बिन्दु के बाद तब तक दोहराया जायगा जब तक कि प्रवर्ग को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता है। तत्पश्चात् रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त हुआ हो।

1. प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जो आपातकाल के दौरान सशस्त्र बलों में शामिल हुआ हो, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्म्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि

तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् स्थाईकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं।

विभागीय स्थायीकरण समिति : “जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाये”।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15 (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी:—

(I) संकल्पना :

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में फ्लाइ ब्याय (ऑफसैट) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जायेगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान सन्तोषजक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.**—नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त फ्लाइ ब्याय, (ऑफसैट) को प्रतिमास रूप 12,120/- समेकित नियत संविदात्मक रकम संदत्त की जाएगी (जो तत्स्थानी प्रवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल-3 के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत होगा)।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी :

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण, या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ या पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन एवं शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त पलाई ब्याय,(ऑफसेट) को प्रतिमास रुपए 12,120/- समेकित नियत संविदात्मक रकम संदत्त की जाएगी (जो सम्बन्धित (तत्स्थानी) संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल-3 के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत होगा) ।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश को एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेंडर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं होगा।

- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ.) संविदा आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर 03 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख की छः सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0 आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

फलाई ब्याय, (ऑफसैट) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **प्रथम पक्षकार** कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् **द्वितीय पक्षकार** कहा गया है), के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने फलाई ब्याय, (ऑफसैट) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार फलाई ब्याय, (ऑफसैट) के रूप में से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस को अर्थात्दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष वर्षानुवर्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम प्रतिमास रुपये **12,120/-** होगी (जो सम्बन्धित (तत्स्थानी) संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू (स्तर) लेवल के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत होगी)।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो उससे उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 05 दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश को एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और संचित अवकाश अगले कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर

कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख के छः सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:-

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में:-

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Mudran (B) 1-4/2021 dated 26-7-2023 as required as under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th July, 2023

No. Mudran (B)1-4/2021.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of **Fly Boy (Offset), (Non-Gazetted) Group-C**, in the Department of Printing and Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:—

1. Short titled and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing & Stationery Department **Fly Boy (Offset) (Class-III) (Non-Gazetted) Group-C**, Recruitment & Promotion Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of Publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Fly Boy (Offset) Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2007** notified *vide* this department notification No. Mudran (A)4-22/93, dated 01-11-2007 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, Dated 13-11-2007 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been validly made or done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order,

Sd/-

Secretary (P&S).

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF FLY BOY (OFFSET)
(NON-GAZETTED) GROUP-C IN THE DEPARTMENT OF PRINTING AND STATIONERY,
HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the post.**— Fly Boy (Offset)
2. **Number of posts.**— 07 (Seven)
3. **Classification.**—Group-C (Non ministerial Services)
4. **Scale of Pay.**—(i) Pay Scale for regular incumbent(s): Level-3 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.

(ii) **Emoluments for Contract employee(s).**—60 % of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Service (Revised Pay) Rules, 2022.
5. **Whether “Selection” post or “Non-selection” post.**—Non-selection
6. **Age for direct recruitment.**— Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. **Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).**—(a) **Essential qualification(s):**—

- (i) Matriculation from a recognized Board of School Education :

Provided that the candidate must have passed Middle or Matriculation from any School/ Institution situated within the Himachal Pradesh :

Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

(ii) At least two years experience in the trade from Government/Semi-Government Printing Press or private offset printing press duly registered with the Central/State Government, where work of the concerned trade is executed.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S) : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of promotee(s).—Age: Not applicable.

Educational Qualification: Yes, as prescribed under Column No.11 below.

9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 90% direct recruitment on a 'regular' basis or by a recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 10% by promotion.

11. In case of recruitment by promotion/ Secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ Secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Press Mazdoors who are Matriculate with practical test on the offset Printing machines having three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

For the purpose of direct recruitment and promotion following 7 point roster shall be followed:—

Roster Point No.	Category
1st to 6th	By Direct recruitment
7th	By promotion

Note.— the roster will be rotated after every 7th point till the representation to all categories is achieved by the given percentage. Thereafter, the vacancy to be filled up from the category which vacates the post.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of

service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

- (ii) Provided that in all cases, where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be consideration for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be Ex-servicemen who have joined armed forces during the period of emergency and recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

- (iii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that *inter-se-seniority* as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—(a) Departmental Promotion Committee: Not Applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee; as may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of

written examination and /or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. will be determined by the H.P. Public Service Commission, Shimla/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment(s) to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT:

- (a) Under the policy the Fly Boy (Offset) in the Printing and Stationery Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:

The Controller, Printing & Stationery Department, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla.

- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Fly Boy (Offset) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount Rs.12,120/- (which shall be equal to 60% (Sixty percent) of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Controller, Printing and Stationery H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination and / or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT :

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount Rs.12,120/- P.M. [which shall be 60% (Sixty percent) of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre].
- (b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination order issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
- (c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by a

Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."

- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part officials at the minimum of the pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure-'B'

Form of contract/agreement to be executed between the Fly Boy (Offset) and the Government of Himachal Pradesh through the Controller, Printing and Stationery Department H.P.

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ between Sh./Smt. _____ s/o/d/o Shri. _____ r/o _____ contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Controller Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Fly Boy (Offset) on contract basis on the following terms and conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Fly Boy (Offset) for a period of one year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both

the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary :

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the First Party will be Rs.12,120/- P.M. (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).
3. The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
4. Contractual Fly Boy(Offset) will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointment on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected Fly Boy (Offset) will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by a Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women

- candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of pay scale.
 9. Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. _____

(Name and Full Address).

(Signature of the FIRST PARTY)

(Name and Full Address).

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

2. _____

(Name and Full Address).

(Signature of the SECOND PARTY)

(Name and Full Address)

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 जुलाई, 2023

संख्या : मुद्रण (बी) 1-1/2017-भाग-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में **फोटो टाईप सैटर ऑप्रेटर** वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध “क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, फोटो टाईप सैटर ऑप्रेटर वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: मुद्रण (बी)1-1/2007, तारीख 18-12-2012 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 19-12-2012 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, फोटो टाईप सैटर ऑप्रेटर, वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

उपाबन्ध “क”

हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में फोटो टाईप सैटर ऑप्रेटर, वर्ग-III (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

- 1. पद का नाम.**—फोटो टाईप सैटर ऑप्रेटर
- 2. पदों की संख्या.**— 10 (दस)
- 3. वर्गीकरण.**—वर्ग-III (अराजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय सेवाएं)
- 4. वेतनमान.**—(i) नियमित पदधारियों के लिए पे बैण्ड : हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के टाइम स्केल से संलग्न पे-मैट्रिक्स लेवल-09.
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत।

5. पद "चयन" या "अचयन".—अचयन पद

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष:

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु सीमा में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हताएं:

(i) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो उत्तीर्ण की हो:

परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दसवीं और 10+2 की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से उत्तीर्ण की हो:

परन्तु यह और कि यह शर्त हिमाचल के स्थायी निवासियों के लिए लागू नहीं होगी।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित संस्थान से एम.एस.वर्ड, पेज़ मेकर, फोटोशॉप तथा कोरल ड्रा के ज्ञान सहित कम्प्यूटर एप्लिकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में एक/दो साल का डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र हो।

(ख) वान्छनीय अर्हताएं.—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रितियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं।

शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—सीधी भर्ती/प्रोन्नति के लिए : (क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.— शत-प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.— (क) विभागीय प्रोन्नति समिति: लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसा की सरकार द्वारा समय-समय पर गठित किया जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.— सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15— (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्याधीन की जाएंगी:—

(I) संकल्पना:

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में फोटो टाईप सैटर ऑपरेटर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान सन्तोषजक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियाँ :

संविदा के आधार पर नियुक्त फोटो टाईप सैटर ऑपरेटर, को 21,360/- प्रतिमास के दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम [जो (संशोधित वेतन) नियम, तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ के 60% (साठ प्रतिशत) होगा] संदत्त की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण, और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/या पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त फोटो टाईप सैटर ऑपरेटर को 21,360/- रुपए प्रतिमास के दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम [जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ के 60% (साठ प्रतिशत) के बराबर होगा] संदत्त की जाएगी।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यावसित किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि

के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) संविदा आधार पर नियुक्त पदाधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानांतरण के लिए पात्र होगा।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवाशर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को आस्थगित रखा जाएगा जब तक प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख की छः सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू हैं, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0 आर0, एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0 पी0 एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/ किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध "ख"

फोटो टाईप सैटर ऑप्रेटर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **प्रथम पक्षकार** कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् **द्वितीय पक्षकार** कहा गया है), के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने फोटो टाईप सैटर ऑप्रेटर के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार फोटो टाईप सैटर ऑप्रेटर के रूप में से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष वर्षानुवर्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रुपये **21,360/-** प्रतिमास होगी
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो उससे उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त फोटो टाईप सैटर ऑप्रेटर एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 05 दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा जाकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को उपरोक्त के सिवाय किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और अगले कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदाधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर जहां कहीं भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानांतरण के लिए पात्र होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक की प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख की छः सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. नियमित कर्मचारियों की दशा में यथालागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0, एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.....

 (नाम व पूरा पता)

साक्षियों की उपस्थिति में:-

1.....

 (नाम व पूरा पता)

2.....

 (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text to this Department Notification No. Mudran (B) 1-1/2017-part-1, dated 26-7-2023 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th July, 2023

No. Mudran (B)1-1/2017-Part-1.—In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of **Photo Type Setter Operator, Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services**, in the Department of Printing & Stationery, Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:—

1. Short titled and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing & Stationery Department **Photo Type Setter Operator, Class-III (Non-Gazetted) Non-Ministerial Services**, Recruitment & Promotion Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of Publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, **Photo Type Setter Operator Class-III (Non-Gazetted), (Non-Ministerial Services), Recruitment and Promotion Rules**, 2012 notified *vide* this department notification No. Mudran (B) 1-1/2007, dated 18-12-2012 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 19-12-2012 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been validly made or done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order,
Sd/-
Secretary (P&S).

Annexure-'A'

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PHOTO TYPE
SETTER OPERATOR CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF
PRINTING AND STATIONERY, HIMACHAL PRADESH**

1. **Name of the post.**—Photo Type Setter Operator
2. **Number of posts.**—10 (Ten)
3. **Classification.**—Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Services)
4. **Scale of Pay.**— (i) Pay Band for regular incumbent(s) : Level-9 of the pay matrix.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022. attached with time scale of the post, as per H
(ii) Emoluments for Contract employee(s) : 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022.
5. **Whether “Selection” post or “Non-selection” post.**—Non-selection.
6. **Age for direct recruitment.**—18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government.

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to the Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such

Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) ESSENTIAL QUALIFICATIONS.—(i) 10+2 from a recognized Board of School Education:

Provided that the candidate must have passed matriculation and 10+2 from any School/ Institution situated within Himachal Pradesh:

Provided further that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

(ii) One/Two year's Diploma/Certificate in Computer Application/Information Technology with the knowledge of M.S. Word, Page Maker, Photo Shop and Corel Draw from recognized University/Institution or from an Industrial Training Institute (ITI) duly recognized by the H.P. Government/Centre Government or approved AICTE.

(b) **DESIRABLE QUALIFICATION(S).**—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of promotee(s).—Age: Not applicable.

Educational Qualification : Not applicable

9. Period of probation, if any.—Direct Recruitment/Promotion:

(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by a recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—(a) *Departmental Promotion Committee* : Not applicable.

(b) *Departmental Confirmation Committee* : As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract recruitment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

- (a) Under the policy the Photo Type Setter Operator in the Printing and Stationery Department will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable, one year to year basis:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then be period of contract is to be renewed/extended.

- (b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC :** The Controller, Printing and Stationery after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency.

- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The **Photo Type Setter Operator** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 21,360 PM (which shall be equal to 60% (sixty percent) of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre).

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY :

The Controller, Printing and Stationery, H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract shall be made on the basis of merit of written examination and / or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla from time to time.

(VI) AGREEMENT :

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-“B” appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The **Photo Type Setter Operator** appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ **Rs.21,360/-** (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre)
- (b) The services of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination order(s) issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
- (c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed 03 years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by a Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant.

In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks 'standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of the pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure-'B'

Form of contract/agreement to be executed between the Photo Type Setter Operator and the Government of Himachal Pradesh through the Controller, Printing and Stationery Department, H.P.

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ between Sh./Smt. _____ s/o/d/o Shri _____, r/o _____ contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Controller Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Photo Type Setter Operator on contract basis on the following terms and conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a **Photo Type Setter Operator** for a period of one year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. **21,360/-** per month.
3. The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
4. Contractual **Photo Type Setter Operator** will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed 03 years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected **Photo Type Setter Operator** will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government Servant and by a Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is

found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Official at the minimum of pay scale.
9. Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. _____

(Name and Full Address).

(Name and Full Address).

(Signature of the FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

2. _____

(Name and Full Address).

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd August, 2023

No. UD-A(1)-6/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section(3-A) of Section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, the Governor,

Himachal Pradesh is pleased to nominate the following persons as members (Government Nominee) in the Municipal Corporation Palampur, Distt. Kangra, Himachal Pradesh:—

- (i) Smt. Kamlesh Kumari w/o Sh. Sadhu Ram, Ward No. 11, Municipal Corporation Palampur, Distt. Kangra, H.P.
- (ii) Sub. Rakesh Kumar s/o Late Sh. Pritam Chand, Ward No. 6, Municipal Corporation Palampur, Distt. Kangra, H.P.
- (iii) Sh. Raj Kumar Thakur s/o Late Sh. Balwant Singh Thakur, Ward No. 3, Municipal Corporation Palampur, Distt. Kangra, H.P.
- (iv) Sh. Shashi Rana s/o Sh. Rattan Lal, Ward No. 3, Municipal Corporation Palampur, Distt. Kangra, H.P.
- (v) Sh. Amit Sharma s/o Sh. Satish Sharma, Ward No. 12, Municipal Corporation Palampur, Distt. Kangra, H.P.

By order,

DEVESH KUMAR,
Pr. Secretary (UD) .

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 03 अगस्त, 2023

संख्या यू0डी0ए0(01)/1/2023.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 90 के उप नियम (6) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्याक 13) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला ऊना में नगर परिषद् ऊना की बाबत उपाध्यक्ष के निर्वाचन को निम्न प्रकार से राजपत्र में अधिसूचित करते हैं :—

नगर परिषद का नाम	निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम और पता
नगर परिषद ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0	श्री विनोद कुमार, वार्ड नं0 -6, नगर परिषद ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0 (उपाध्यक्ष)

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

[Authoritative English text of this Department Notification No-UD-A(01)/1/2023, dated 03rd August, 2023 as required under clause(3) of Article 348 of the constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd August, 2023

No. UD-A(01)/1/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015 the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the Official Gazette election of Vice-President in respect of Municipal Council Una, Distt. Una, H.P. as under:—

Name of Municipal Council	Name & Address of Elected Vice President
Municipal Council Una, Distt. Una, H.P.	Sh. Vinod Kumar, Ward No. 6, Municipal Council Una, Distt. Una, HP (Vice President).

By order,

DEVESH KUMAR,
Pr. Secretary (UD) .

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
Armsdale Building -171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Email:secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th August, 2023

No. SEC (18)1-96—III-4471.—The State Election Commission hereby adopts the Himachal Pradesh Department of Personnel, Superintendent Grade-II, (Class-II, Non-Gazetted, Ministerial Services) Common Recruitment and Promotion Rules, 2011, notified in the e-Gazette vide Notification No. Per(AP)-C-A (3)-6/2010, dated 14th September, 2011, for its implementation in the State Election Commission.

By order,

Sd/-
(ANIL KUMAR KHACHI)
State Election Commissioner.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
 Armsdale Building -171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Email:secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th August, 2023

No. SEC (18)1-96-III-4468.—The State Election Commission hereby adopts the Himachal Pradesh Department of Personnel, Junior Scale Stenographer Common Recruitment and Promotion Rules, 2017, as notified in the e-Gazette *vide* Notification No. Per(AP)-C-A (3)-3/2017, dated 11th October, 2017, for its implementation in the State Election Commission.

By order,

Sd/-
 (ANIL KUMAR KHACHI)
State Election Commissioner.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
 Armsdale Building -171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Email:secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th August, 2023

No. SEC (18)1-96-III-4465.—The State Election Commission hereby adopts the Himachal Pradesh Department of Personnel, Junior Office Assistant (IT) Common Recruitment and Promotion Rules, 2017, as notified in the e-Gazette *vide* Per (AP)-C-A (3)-1/2007-II, dated 16th September, 2017 and as amended from time to time, for its implementation in the State Election Commission.

By order,

Sd/-
 (ANIL KUMAR KHACHI)
State Election Commissioner.

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 1 / 2023

तारीख दायर : 07-11-2022

किस्म मुकद्दमा : भू-एकत्रीकरण अपील

श्री केवल कृष्ण

बनाम

श्री जय किशन आदि

1. गिरधारी लाल पुत्र श्रीमती दुर्गी देवी, 2. मनजीत पुत्र रामलोक, 3. रचना पुत्री रामलोक, 4. मन्जू पुत्री रामलोक, 5. राजीव पुत्र रामलोक समस्त निवासी महाल बसारल, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

भू-एकत्रीकरण अपील महाल बसारल, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

नोटिस बजरिया इश्तहार सरकारी गजट द्वारा प्रतिवादी को मुकद्दमा उपरोक्त बारे कई बार सम्मन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील साधारण ढंग से न हो सकी। इससे अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उनको सम्मन की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उसे इश्तहार सरकारी गजट द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 24-08-2023 को 2.00 बजे बाद दोपहर असालतन या वकालतन मेरे न्यायालय स्थान मिनी सचिवालय नादौन में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करे अन्यथा आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

In the Court of Sh. Rakesh Kumar Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Abhishek Kumar aged 24 years s/o Sh. Kuldeep Singh, r/o Village Garoru, P.O. Nalahi, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Ankita aged 23 years d/o Vipin Kumar, r/o Village Sukria Upperli, Jansooh, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Abhishek Kumar aged 24 years s/o Sh. Kuldeep Singh, r/o Village Garoru, P.O. Nalahi, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Ankita aged 23 years d/o Vipin Kumar, r/o Village Sukria Upperli, Jansooh, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 28-08-2023. The objections received after 28-08-2023 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 22-07-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Sh. Rakesh Kumar Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Sunny Kumar aged 25 years s/o Sh. Kuldeep Kumar, r/o Village Saluhi, P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Muskan Sharma aged 21 years d/o Pawan Kumar, r/o Village & P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Sunny Kumar aged 25 years s/o Sh. Kuldeep Kumar, r/o Village Saluhi, P.O. Chabutra, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Muskan Sharma aged 21 years d/o Pawan Kumar, r/o Village & P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 28-08-2023. The objections received after 28-08-2023 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 22-07-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).*

**Before the Court of Executive Magistrate-cum-Tehsildar, Sujanpur,
Distt. Hamirpur (H. P.)**

Smt. Vimla Devi d/o Sh. Shiam Singh, r/o Village Sachuhi, P.O. Tarpohal, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

.. Respondent.

Subject.— Regarding registration of death event under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 prior to 01-04-1970.

Smt. Vimla Devi d/o Sh. Shiam Singh, r/o Village Sachuhi, P.O. Tarpohal, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the court of undersigned under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her mother namely Smt. Glass Devi w/o Shiam Singh has died on 19-12-1953 at Village Sachuhi, P.O. Tarpohal, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) but her date of death could not be entered in the record of Gram Panchayat Khanauli, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of death of Smt. Glass Devi w/o Shiam Singh, Village Sachuhi, P.O. Tarpohal, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) may submit their objections in writing in this court on or before 28-08-2023 failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 22-07-2023.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate-cum-Tehsildar,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate-cum-Additional District Registrar of Marriages, Sub-Division, Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

1. Sh. Akshat Shama s/o Sh. Dinesh Shama, r/o House No. 84, Ward No. 5, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)-177001.

2. Smt. Pragya Pareek d/o Sh. Shiv Shankar Pareek, r/o Subhash Nagar, Manglana Road, Makrana, Nagaur, Rajasthan-341505 .. Applicants.

Versus

General Public

Registration of marriage under section 8 (3) of the Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996

WHEREAS, an application under section 8 (3) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 has been received from Sh. Akshat Shama and Smt. Pragya Pareek alongwith documents and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 08-03-2023 and same could not be registered, under the act *ibid* in the office of the Registrar of Marriage-cum-Executive Officer, M.C. Hamirpur, District Hamirpur, H.P. within stipulated period due to unavoidable circumstances.

NOW THEREFORE, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding registration of this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 06-09-2023. In case no objection is received by 06-09-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 25-07-2023.

Seal.

Sd/-
Sub Divisional Magistrates-cum-
Additional District Registrar of Marriage,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Sh. Manish Kumar Soni, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Rishu Dhiman s/o Shri Bhagwan Dass, r/o Village & P.O. Bara, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.) presently residing at c/o Sh. Rajat Rana s/o Sh. Rajinder Singh, r/o Village Lahar, P.O. Dugha, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Isha d/o Sh. Rajesh Kumar, r/o House No. 1588, Deep Complex, Hallo Majra, Chandigarh-160002.

Versus

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage.

Sh. Rishu Dhiman & Ms. Isha have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within next three calendar months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 14-09-2023. In case no objection is received by 14-09-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 27-07-2023.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Dr. Rohit Sharma, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Mukesh Verma age 30 years s/o Sh. Yog Raj, r/o Village & P.O. Bihru, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Mamta age 24 years s/o Sh. Sarban Singh, r/o Village Mainwa, P.O. Mansoorwal, Tehsil & District Kapurthala (Punjab) .. *Appellants.*

Versus

General Public

Subject— Notice of Marriage

Mr. Mukesh Verma and Ms. Mamta have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 24-07-2023 as per Hindu rites and customs at Shiv Mandir, Harna, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 26-08-2023. In case no objection is received by 26-08-2023, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 25-07-2023.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

केस नं0 : 07/2021

किस्म मुकद्दमा — तकसीम

आगामी तारीख पेशी : 05-09-2023.

सुनीता देवी

बनाम

मिहिन्दर कुमार आदि

अदालती इश्तहार/नोटिस बराये हि0प्र0 राजपत्र शिमला के माध्यम से प्रकाशन बारे।

इस अदालत द्वारा जारी इश्तहार/नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री प्रशोतम चन्द पुत्र मुन्शी राम, निवासी महाल टिककर, मौजा चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला

हमीरपुर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताखरी की अदालत में भूमि खाता नं0 8, खतौनी 08, खसरा नं0 522/470/95, 524/103, कित्ता 02, रकबा तादादी 18 कनाल 05 मरले, वाक्या टीका टिक्कर, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर की तकसीम हुकमन हेतु नकल जमाबन्दी साल 2015-2016 अनुसार आवेदन-पत्र दायर किया है परन्तु प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 साधारण तरीका से तामील न हो रही है। अतः हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 21 ता 23 के अन्तर्गत बजरिया इश्तहार/नोटिस के माध्यम से निम्नलिखित हिस्सादारान को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा में अपना-अपना पक्ष रखने/एतराज पेश करने हेतु सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार सुजानपुर जिला हमीरपुर की अदालत में दिनांक 05-09-2023 को सुबह 11.30 बजे अदालतन या वकालतन हाजिर आवें। अन्यथा गैरहाजिर रहने की सूरत में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व उसके उपरान्त उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा में आपका कोई भी उजर/एतराज मान्य न समझा जाएगा।

सूची सह-हिस्सादारान/प्रतिवादीगण :

1. मिहिन्दर कुमार, 2. पंकज कुमार पिसरान श्री जगो उपनाम जगदीश चन्द, 7. श्री विनय कुमार सुपुत्र श्री अजीत चन्द समस्त निवासीगण महाल टिक्कर, मौजा चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

यह इश्तहार/मुस्त्री मुनादी आज दिनांक 20-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम।

पेशी : 11-08-2023

श्रीमती श्रेष्ठा देवी पत्नी श्री अशोक कुमार पुत्र धूमी चन्द, निवासी गांव व डा0 चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पति का सही नाम अशोक कुमार पुत्र धूमी चन्द है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल चड़ी व थरोट में प्रीतम सिंह पुत्र श्री धूमी चन्द चला हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर प्रीतम सिंह उर्फ अशोक कुमार पुत्र श्री धूमी चन्द करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह अदालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-08-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम।

पेशी : 11-08-2023

श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री होशियारा राम, निवासी महाल रैत, मौजा नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37के तहत महाल रैत में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका व उसके पिता का सही नाम संजीव शर्मा व होशियारा राम है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल रैत में संजीव व होशियारू चला हुआ है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल रैत में संजीव उर्फ संजीव शर्मा पुत्र श्री होशियारू उर्फ होशियारा राम पुत्र लेख राज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 11-08-2023 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जगदीश चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा तकसीम नं0 : 11/2022/टी0टी0पी0

तारीख पेशी : 17-08-2023

श्री गंगन सिंह पुत्र सन्त राम, वासी महाल टिक्करी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

1. संसार चन्द पुत्र सन्त राम व अन्य सभी निवासी महाल टिक्करी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

नोटिस बनाम : 1. किशोर सिंह, प्राक्रम सिंह पुत्र व मिलापा देवी पुत्री प्रेमी देवी पुत्री घुंघरू राम सभी वासी हलदरा कौना, डा0 कौना, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

विषय.—हि0प्र0 भू0, राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 123 के अन्तर्गत भूमि खेवट नं0 79, खतौनी नं0 84, खसरा कित्ता 02, रकबा तादादी 0-11-15 है0, वाक्या महाल थुरल खास, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री गंगन सिंह पुत्र सन्त राम, वासी महाल टिककरी, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में खाता नं0 79 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इशतहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-08-2023 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-07-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत बीरबल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील डाडा सीबा,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

श्री देव राज पुत्र हरी चन्द, निवासी महाल लंडियाडा, डा0 घियाडा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र बाबत जन्म पंजीकरण करवाने बारे।

श्री देव राज पुत्र हरी चन्द, निवासी महाल लंडियाडा, डा0 घियाडा, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस आशय से न्यायालय में शपथ-पत्र मय प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) अदालत हजा में प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-03-1957 को गांव लंडियाडा में हुआ था परन्तु उसके अभिभावकों द्वारा उसका जन्म पंजीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर ग्राम पंचायत लंडियाडा में अज्ञानता के कारण दर्ज न करवाया गया है परन्तु नकल परिवार रजिस्टर में प्रार्थी की जन्म तिथि दर्ज है। अब प्रार्थी अपना जन्म पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण आम जनता को बजरिया इशतहार राजपत्र प्रकाशन व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-08-2023 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में जन्म पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 26-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 04-09-2023

श्री मदन लाल पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी गांव धार द्रुमका कलां, डा0 कच्छैड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुस्त्री मुनादी व इशतहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

इशतहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्री मदन लाल पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी गांव धार द्रुमका कलां, डा0 कच्छैड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं व अधिवक्ता श्री योगेश डोगरा हाजिर होकर प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि उसके पुत्र श्री मनोज कुमार का जन्म दिनांक 21-12-2008 को गांव धार द्रुमका कलां, ग्राम पंचायत मंझेड़ा, डा0 कच्छैड़ा, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ—पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मंझेड़ा को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मदन लाल के जन्म तिथि 21-12-2008 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 04-09-2023 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हारसी को जारी कर दिया जायेगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 19-07-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 15/NT/2023

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती

Samriti Pardhan d/o Sh. Shakti Narayan at present w/o Sh. Anubhav Walia, V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 37(2) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Samriti Pardhan d/o Sh. Shakti Narayan at present w/o Sh. Anubhav Walia, V.P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा नाम राजस्व रिकार्ड में गलत लिखा गया है इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Samriti Pardhan d/o Sh. Shakti Narayan के नाम को दुरुस्त करने में कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 26-08-2023 को असातन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-07-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Kaushalya d/o Lt. Sh. Ganga Ram, r/o Village Karyali, P.O. Mooluthi, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Kaushalya d/o Lt. Sh. Ganga Ram, r/o Village Karyali, P.O. Mooluthi, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself named— Kaushalya in the record of Registrar Birth and Death, in Gram Panchayat Chamyana, Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Kaushalya	Self	01-07-1974

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Chamyana, Shimla (H.P.), may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 28-07-2023 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),
District Shimla (H.P.)**

1. Sh. Vikrant s/o Sh. Chet Ram, r/o Village Chaily, P.O. Summer Hill Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.) India.

2. Ms. Priya d/o Sh. Madan Lal, r/o Narender Bhawan, Near Samala School Rohru, Tehsil Rohru District Shimla (H.P.) India.

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage under section 8(4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996.

Sh. Vikrant s/o Sh. Chet Ram, r/o Village Chaily, P.O. Summer Hill Shimla, Tehsil & District Shimla (H.P.) India and Ms. Priya d/o Sh. Madan Lal, r/o Narender Bhawan, Near Samala School Rohru, Tehsil Rohru District Shimla (H.P.) India have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 02-06-2009, and they are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the record of Registrar of Marriages concerned /Municipal Corporation Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 25-08-2023 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 26th July, 2023.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Savitoj Singh aged about 33 years s/o Sh. Prem Singh, r/o Mohil Niwas, Near Ram Niwas Bemloe, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh (India).

2. Ms. Amrita Bhasin aged about 38 years d/o Sh. Ravinder Singh Bhasin, r/o C-1/98, SFC 1, Block Ashok Vihar, Phase 2, North West Delhi (India) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation of the Notice to Intend Marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Savitoj Singh aged about 33 years s/o Sh. Prem Singh, r/o Mohil Niwas, Near Ram Niwas Bemloe, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh (India) and Ms. Amrita Bhasin aged about 39 years d/o Sh. Ravinder Singh Basain, r/o C-1/98, C 1, Block Ashok Vihar, Phase 2, North West Delhi (India) have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned under section 5 of special Marriage Act, 1954 today on dated 1st August, 2023 and intend to get married within three calendar months from the date hereof.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice, that if person who has any objection regarding this marriage, can file their objections personally or in writing before this court on or before 02nd September, 2023 from the date of this notice, after that no objection will be entertained and marriage shall be registered accordingly.

Issued today on 1st August, 2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Rahul Kumar Rawat aged about 29 years s/o Sh. Vijay Singh, r/o Set No. 305 B, Vidhayak Sadhan, Near Lift Metropole, Shimla, Himachal Pradesh.

2. Mrs. Komal aged about 23 years d/o Sh. Gulab Singh, r/o Y 17 A, Budh Vihar, Phase-1, New Delhi-110086 and w/o Sh. Rahul Kumar Rawat , r/o Set No. 305 B, Vidhayak Sadhan, Near Lift Metropole, Shimla, Himachal Pradesh . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Rahul Kumar Rawat aged about 29 years s/o Sh. Vijay Singh, r/o Set No. 305 B, Vidhayak Sadhan, Near Lift Metropole, Shimla, Himachal Pradesh and Mrs. Komal aged about 23 years d/o Sh. Gulab Singh, r/o Y 17 A, Budh Vihar, Phase-1, New Delhi-110086 and w/o Sh. Rahul Kumar Rawat, r/o Set No. 305 B, Vidhayak Sadhan, Near Lift Metropole, Shimla, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits before the court of the undersigned on 09-06-2023 under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 28th day of November, 2020 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice, that if any person who has any objection regarding this marriage, can file their objections personally or in writing before the court on or before 3rd September, 2023 from the date of this notice, after that no objection will be entertained and marriage shall be registered accordingly as notice issued earlier in this regard by this office on dated 12-06-2023 could not be published in gazette.

Issued today on 2nd July, 2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Rakesh Bansal aged about 64 years s/o Late Sh. Kundan Mal Bansal, r/o Dhar Villa Tutikandi, Shimla, Tehsil & Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

2. Mrs. Madhu Bala Bansal aged about 62 years d/o Late Sh. Satpal Julka, r/o Darshan Cottage, Lower Totu Shimla, Tehsil & Distt. Shimla, Himachal Pradesh . . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Rakesh Bansal aged about 64 years s/o Late Sh. Kundan Mal Bansal, r/o Dhar Villa Tutikandi, Shimla, Tehsil & Distt. Shimla, Himachal Pradesh and Mrs. Madhu Bala Bansal aged

about 62 years d/o Late Sh. Satpal Julka, r/o Darshan Cottage, Lower Totu Shimla, Tehsil & Distt. Shimla, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits before the court of the undersigned on 03-08-2023 under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11th day of March, 1986 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice, that if any person who has any objection regarding this marriage, can file their objections personally or in writing before the court on or before 5th September, 2023 from the date of this notice, after that no objection will be entertained and marriage shall be registered accordingly.

Issued today on 04th August, 2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).

**In the Court of Sh. Sunny Sharma H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Vishan Singh s/o Sh. Bankhru Ram, r/o Village Sharog, P.O. Arbal, Tehsil Rohru,
District Shimla (H.P.). *Applicant.*

Versus

General Public

Respondent.

Subject.—Application u/s 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969.

Whereas Vishan Singh s/o Sh. Bankhru Ram, r/o Village Sharog, P.O. Arbal, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith the affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of birth of his son Master Anshul 07-05-2011 in the record of Birth Register, in Gram Panchayat Sharog-Barara.

Now, therefore, objection are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the name and date of birth of Master Anshul (07-05-2011) they should appear the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent. In the event of their failure to do so, it would be deemed that

there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this day of July, 2023.

Seal.

Sd/-
(SUNNY SHARMA) H.A.S.,
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shailey w/o Sanjeev Kumar, r/o House No. 1, Ward No. 2, Ram Gali, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Shailey to Shailey Sharma for all purposes in future. Please note.

SHAILEY
w/o Sanjeev Kumar,
r/o House No. 1, Ward No. 2, Ram Gali,
Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Harsh Paul s/o Sh. Charanji Lal, r/o V.P.O. Dehlan, Tehsil & Distt. Una (H.P.) 174306, solemnly affirm and state that my name as per Aadhar Card and Pan Card is Harsh Paul which is correct. In share Certificate Number 000207868 of State Bank of India, which belongs to me and my son, my name is written as HARSH PAUW SHARMA and in share Certificate Number 26871 of Punjab National Bank, which also belongs to me, my name is written as HARSH PAUL SHARMA. In both these share certificates my name be read as Harsh Paul as per my Aadhar Card and Pan Card.

HARSH PAUL
s/o Sh. Charanji Lal,
r/o V.P.O. Dehlan,
Tehsil & Distt. Una (H.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, जीवन लाल पुत्र सूरम चन्द, गांव व डा0 ठठल, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ब्यान करता हूं कि मैंने अपने बेटे का नाम नैतिक से बदलकर नैतिक चौधरी रख लिया है। भविष्य में इसे नैतिक चौधरी के नाम से जाना जाए। सम्बन्धित नोट करें।

जीवन लाल
पुत्र सूरम चन्द,
गांव व डा0 ठठल,
तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Sumeet Sahni s/o Subhash Chand Sahni, r/o V.P.O. Gaggal, Tehsil & Distt. Kangra (H.P.) declare that as per educational records, my son is Arush. Whereas his correct name is Arush Sahni. In his school record my name wrongly entered as Sumit Sahni instead of Sumeet Sahni & my wife's name wrongly entered as Ritu Sahni instead of Reetu Sahni.

SUMEET SAHNI
s/o Subhash Chand Sahni,
r/o V.P.O. Gaggal,
Tehsil & Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Madhu Kumari w/o Sh. Vinay Kumar, r/o Village Harinagar, P.O. Bhira, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name wrongly entered as Samiksha Kumari & in Voter ID it's wrongly entered as Madhu Kumari Uraf. Whereas my correct name is Madhu Kumari. Please note.

MADHU KUMARI
w/o Sh. Vinay Kumar,
r/o Village Harinagar, P.O. Bhira,
Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).